फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर)

संतोषदेवी बनाम नादी देवी व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष : 194/07/49/09 /20
वाद

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	10/12/21	पत्रावली पेश हुई। क.फ. उप०। प्रा० पत्र O1 R10 CPC प्रार्थी सुल्तान सिंह का जरिये अधिवक्ता पेश हुआ व प्रा० पत्र बाबत नाम हजफ किये जाने का पेश हुआ। नकल डिलाई गई। उक्त प्रा० पत्रो पर वकील वादी ने नो ओब्जेक्शन किया गया। पत्रावली व प्रा० पत्रो का वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी में प्रार्थी सुल्तान सिंह खातेदार है एवं प्रतिवादी सं. 1/3 ता 1/9 व प्रतिवादी सं. 4 का नाम जमाबंदी में नहीं है अतः उक्त दोनों प्रा० पत्रो को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सुल्तान सिंह को पक्षकार बनाया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1/3 ता 1/9 व 4 का नाम हजफ किया जाता है। संशो० शीर्षक पेश हुआ। नकल दी गई। उभय पक्षकारान ने वाद को अन्तिम डिक्री मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किये जाने पर सहमति जताई। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। [illegible] से लिखाया जाकर शा० मि० किया जावे। अन्तिम डिक्री जारी [illegible] शुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	[illegible] महेन्द्र सिंह [illegible] 1/2 प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–194/07/49/09
उनवान–संतोष देवी बनाम लादी वगै0
निर्णय दिनांकः–10.12.2021

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

उनवान

श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नि श्री मदनलाल आगीवाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादिया–

बनाम

1. लादी देवी धर्मपत्नि श्री मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतका दौराने दावा)
   1/1. नन्छूराम पुत्र मुरलीधर
   1/2. श्रवण पुत्र मुरलीधर
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. हरिराम सैनी पुत्र श्री प्रभूदयाल, जाति माली, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. झूमा देवी पत्नि श्री महादेव प्रसाद सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. सुल्तान सिंह पुत्र प्रभूदयाल, जाति माली, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–194/07/49/09

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू [illegible] वादिया एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री हर्षित [illegible] मिनजामिन [illegible] दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि [illegible] है0, कुल किता 1 का

विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 1621 रकबा [illegible] है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम सिंगोदकलां, तह[illegible] चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.07.2021 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:–

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—194/07/49/09
उनवान—संतोष देवी बनाम लादी वगै0
निर्णय दिनांकः—10.12.2021

1. सन्तोष देवी पत्नि मदनलाल, जाति महाजन सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/3 रकबा 0.5160 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5160 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. नन्छूराम, श्रवणकुमार पिता मुरलीधर, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/4 रकबा 0.5630 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5630 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
3. सुल्तान सिंह, हरिराम पिता प्रभूदयाल, जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/1 रकबा 0.1250 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1250 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
4. झूमा देवी पत्नि महादेव प्रसाद, जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/2 रकबा 0.0860 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0860 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.12.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर
ओहदा.......... चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	5
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. [illegible]	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	4	जोड़	5

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–194 / 07 / 49 / 09

उनवान

श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नि श्री मदनलाल आगीवाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादिया–

बनाम

1. लादी देवी धर्मपत्नि श्री मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतका दौराने दावा)
   1/1. नन्छूराम पुत्र मुरलीधर
   1/2. श्रवण पुत्र मुरलीधर
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. हरिराम सैनी पुत्र श्री प्रभूदयाल, जाति माली, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. झूमा देवी पत्नि श्री महादेव प्रसाद सैनी, जाति माली, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. सुल्तान सिंह पुत्र प्रभूदयाल, जाति माली, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–10.12.2021

पत्रावली पेश हुई। वादिया एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। वादिया एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वादिया एवं प्रति[illegible] कुर[illegible] 20.07.2021 के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेद[illegible]या। [illegible]ली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट [illegible] गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड [illegible] किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपो[illegible]कॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए बनाई गई है। [illegible]न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.07.2021 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–194/07/49/09
उनवान–संतोष देवी बनाम लादी वगै0
निर्णय दिनांक:–10.12.2021

आराजी खसरा नं0 1621 रकबा 1.29 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:–

1. सन्तोष देवी पत्नि मदनलाल, जाति महाजन सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/3 रकबा 0.5160 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5160 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. नन्छूराम, श्रवणकुमार पिता मुरलीधर, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/4 रकबा 0.5630 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5630 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
3. सुल्तान सिंह, हरिराम पिता प्रभूदयाल, जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/1 रकबा 0.1250 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1250 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
4. झूमा देवी पत्नि महादेव प्रसाद, जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1621/2 रकबा 0.0860 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0860 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested